

न्यायालय नायब तहसीलदार लवाण जिला दौसा(राज.)

सरकार बनाम रामभजन पुत्र रामप्रताप जाति जोगी निवासी सिंगवाड़ा तहसील
लवाण

मिसल न. 20/2023

निर्णय दिनांक-19.02..2024

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सिंगवाड़ा ने रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय मे प्रस्तुत कि की अतिक्रमी रामभजन पुत्र रामप्रताप जाति जोगी निवासी सिंगवाड़ा तहसील लवाण ने ग्राम सिंगवाड़ा के आराजी खसरा नंबर 1181 किस्म घरागाह कुल रकबा 0.15 है० मे से रकबा 0.03 है० भूमि पर संवत 2080 फसल वर्ष रबी मे जौ की काश्त कर अतिक्रमण किया है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अतिक्रमी बाद तामील उपस्थित रहा । अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण नहीं होने के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये । जिससे राजकीय भूमि पर अतिचार करना सिद्ध होता है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा की अतिक्रमी का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है, तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखता है । अतः उसे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से वेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1)(2)(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे पर जौ की काश्त से वेदखल किया जाने व उस पर लगान 0.27 रु. का 50 गुना 14 रु. की शास्ति आरोपित की जाती है।

पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसूली, फसल नीलामी एवं वेदखली हेतु भू.अ.निरीक्षक हिंगोटिया एवं पटवारी हल्का पटवार मण्डल सिंगवाड़ा को लिखा जावे । निर्णय खुले न्यायालय मे आज दिनांक 19.02.2024 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील लेख भण्डार हो ।



रु० ले० सो 4 वर्ष 23-24
की पृष्ठ सं. 54 पर 14.5 रु.
की मांग कायम की।

तहसील राजस्व लेखाकार
लवाण



(धर्म सिंह मीना)
नायब तहसीलदार
लवाण तहसील (दौसा)
लवाण जिला दौसा(राज.)